राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1566/2024

कृष्णकांत शर्मा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. सचिव एवं आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद भरतपुर, जिला भरतपुर (राज.)।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 02.04.2024

आदेश की दिनांक : 11.07.2024

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री विनोद कुमार शर्मा, अभिभाषक

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री विक्रम सिंह राठौड़, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी ने अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करते हुए यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर आलोच्य निलंबन आदेश दिनांक 22.03.2024 को अपास्त फरमाया जावे और प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावें कि अपीलार्थी को निलंबन से बहाल करते हुए उसी स्थान पर पदस्थापित किया जावे जहां पर वह पूर्व में पदस्थापित था एवं समस्त लाभ भी प्रदान किये जावें।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार है :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन सहायक खंड विकास अधिकारी के पद पर पंचायत समिति, कठूमर, जिला अलवर में कार्यरत है और आलोच्य निलंबन आदेश दिनांक 22.03.2024 के द्वारा अपीलार्थी को नियम 1958 के नियम 13 के अंतर्गत निलंबित किया गया है और अपीलार्थी को मुख्यालय पंचायती राज विभाग, जयपुर किया गया है। उनका कथन है कि अपीलार्थी को नोटिस का जवाब तीन दिन के अंदर प्रस्तुत करने हेतु आदेश किया गया, जिसका अपीलार्थी ने दिनांक 19.03.2024 को जवाब प्रस्तुत किया। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा दिनांक 15.03.2024 को कारण बताओ नोटिस अपीलार्थी को भेजा गया। जबकि आंतरिक रिपोर्ट दिनांक 04.12.2023 की प्रतिलिपि अपीलार्थी को नहीं दी गई और पत्र दिनांक 10.01.2024 के द्वारा अपीलार्थी को सीसीए नियम 16 के तहत कार्यवाही करने की स्वीकृति एवं निलंबित करने हेतु स्वीकृति चाही गई। जांच रिपोर्ट दिनांक 04.12.2023 के अनुसार अपीलार्थी, सहायक लेखाधिकारी एवं प्रधान के विरूद्ध आरोप पाये गये, जिन्हें भी प्रत्यर्थी विभाग द्वारा निलंबित किया गया और प्रधान के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 2630/2024 हिमांशु बनाम राजस्थान राज्य व अन्य प्रस्तुत की गई, जिसमें अंतरिम आदेश दिनांक 19.03.2024 के द्वारा निलंबन को स्थगित किया गया। अपीलार्थी खंड विकास अधिकारी के पद पर कार्यवाहक के रूप में कार्य कर रहा था, जिसे आदेश दिनांक 22.03.2024 के द्वारा निलंबित किया गया है और उसका मुख्यालय जयपुर किया गया है, जो विधि एवं नियमों के विपरीत है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य निलंबन आदेश दिनांक 22.03.2024 को अपास्त फरमाया जावे और प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावें कि अपीलार्थी को निलंबन से बहाल करते हुए उसी स्थान पर पदस्थापित किया जावे जहां पर वह पूर्व में पदस्थापित था एवं समस्त लाभ भी प्रदान किये जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुये यह प्रतिवाद किया है कि विभाग द्वारा गठित जांच कमेटी द्वारा जांच रिपोर्ट दिनांक 05.01.2024 के अनुसार अपीलार्थी का कार्य संतोषप्रद नहीं है एवं कार्य निष्पादन में गंभीर अनियमितता पायी गई है। निरीक्षण रिपोर्ट में अपीलार्थी द्वारा अनियमित भुगतान किये जाने का दोषी माना गया है और प्रदत्त शक्तियों के

तहत नियमानुसार अपीलार्थी को निलंबित किया गया है, जिसमें कोई नियम विरूद्धता नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन सहायक खंड विकास अधिकारी के पद पर पंचायत समिति, कठूमर, जिला अलवर में कार्यरत है और आलोच्य निलंबन आदेश दिनांक 22.03.2024 के द्वारा अपीलार्थी को नियम 1958 के नियम 13 के अंतर्गत निलंबित किया गया है और अपीलार्थी को मुख्यालय पंचायती राज विभाग, जयपुर किया गया है। जहां तक अपीलार्थी को आलोच्य आदेश के द्वारा निलंबित किये जाने का प्रश्न है, आलोच्य निलंबन आदेश दिनांक 22.03.2024 के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त आलोच्य आदेश सक्षम अधिकारी द्वारा नियमों के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये अपीलार्थी को निलंबित किया गया है। चूंकि अपीलार्थी को जांच कमेटी की जांच रिपोर्ट के आधार पर गंभीर अनियमितता पायी जाने पर एवं उचित स्तर पर स्वीकृति लेते हुये नियमानुसार आलोच्य निलंबन आदेश के द्वारा निलंबित किया गया है, जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं। अतः उक्त तर्कों के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाये जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य